उत्तर प्रदेश शासन

आबकारी अनुभाग-1

संख्या-33/2016/915/ई-1/तेरह-2016-96/2016

लखनऊ:: दिनांक 21 जुलाई, 2016

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या- 31/2016/1024/ई-1/तेरह-2016-96/2016 दिनांक 11 जुलाई 2016 द्वारा श्री राजेश कुमार सिन्हा की उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर तैनाती को दिनांक 31-07-2016 तक स्थगित रखने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश को संशोधित करते हुए श्री राजेश कुमार सिन्हा की उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर तैनाती को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए प्रशासनिक एवं कार्यहित में श्री सुनील कुमार मिश्र, उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या- 13760(एसबी)/2016 राधेश्याम मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-06-2016 के दृष्टिगत दिनांक 01-08-2016 से उप आबकारी आयुक्त, गोरखपुर प्रभार, गोरखपुर के पद पर स्थानान्तरित/तैनात किया जाता है।

कार्यालय आदेश संख्या- 24/2016/728/ई-1/तेरह-2016-96/2016 दिनांक 06 जून, 2016 भी उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

संख्या-33/2016/915(1) /ई-1/तेरह-2016-96/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(5) सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त।
(6) श्री राजेश कुमार सिन्हा, उप आबकारी आयुक्त सम्बद्ध संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।
(7) श्री सुनील कुमार मिश्र, उप आबकारी आयुक्त, ई0आई0बी0, मुख्यालय, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे दिनांक 01-**08-2016** को अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित् करें।
(7) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

राम बहादुर सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in